

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spzh-up@nic.in



पत्र संख्या- 210/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-12.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 12.06.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- कोतवाली: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक- 11.06.2025 को उ0नि0 यश सिंह पटेल, उ0नि0 अभिषेक कुशवाहा, मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति सौरभ यादव उर्फ लक्की यादव पुत्र शिवगोविन्द यादव निवासी हाल पता सरकारी ट्यूबवेल के पास गेलवारा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय 23.30 बजे प्राइवेट बस अड्डा से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 268/25 धारा- 3/ 25 शस्त्र अधि पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-सौरभ यादव उर्फ लक्की यादव पुत्र शिवगोविन्द यादव निवासी हाल पता सरकारी ट्यूबवेल के पास गेलवारा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण:- कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग -

1- मु0अ0सं0- 268/25 धारा- 3/ 25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली आजमगढ़



02. थाना-फूलपुर: साइबर फ्राड के 92,950 रूपया आवेदक के खाते में वापस कराया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदिका सपना देवी पुत्री अनिल तिवारी निवासी 221 बावन नौवस्ता कानपुर उ0प्र0 हाल पता- फूलपुर जनपद आजमगढ़ के साथ भिन्न-भिन्न तिथियो को शेयर मार्केट में पैसा निवेश के नाम पर साइबर क्राइम की घटना घटित हुई थी, जिसमें कि आवेदिका सपना देवी उपरोक्त के खाता से धनराशि 35,000 रू0 व आवेदिका के पति आशीष कुमार पुत्र सतीश के खाता से 83,000 रू0 कट गया था । जिसके सम्बन्ध में साइबर हेल्पलाइन नं0 1930/https://cybercrime.gov.in/ पर साइबर हेल्पडेस्क फूलपुर द्वारा शिकायत पंजीकृत करायी गयी जिसका Ack No. 23112240xxxxx है । जिसमें साइबर पुलिस पोर्टल द्वारा 1,18,000 रू0 में से 92,950 रू0 फ्राड करने वाले के खाते में फ्रीज करा दिया गया । विधिक कार्यवाही करते हुए दिनांक 11.06.2025 को आवेदिका को 92,950 रू0 रूपये वापस करा दिया गया है ।

रूपया वापसी का विवरण:-

आवेदिका सपना देवी पुत्री अनिल तिवारी निवासी 221 बावन नौवस्ता कानपुर उ0प्र0 हाल पता- फूलपुर जनपद आजमगढ़ के साथ फ्राड हुए 1,20,000 रूपये में से होल्ड 92,950/- रू0 के सम्बन्ध में आरक्षी दुर्गेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा आवेदिका के माध्यम से कोर्ट आर्डर बनवा कर सम्बन्धित बैंको के शाखा प्रबन्धक से जरिये दूरभाष/इमेल सम्पर्क कर शाखा प्रबन्धक को कोर्ट आर्डर भेज कर होल्ड 92,950 रू0 आवेदिका सपना देवी पुत्री अनिल तिवारी निवासी 221 बावन नौवस्ता कानपुर उ0प्र0 हाल पता- फूलपुर जनपद आजमगढ़ व उसके पति आशीष के स्टेट बैंक के खाता में दिनांक 11.06.2025 को 92,950/- रूपया (REFUND) अवमुक्त कराया जा चुका है ।

बरामदगी करने वाली साइबर टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 अनुराग कुमार पाण्डेय थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. आरक्षी दुर्गेश कुमार विश्वकर्मा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।



03.थाना- सिधारी: 03 अवैध असलहा व 01 मोटरसाइकिल के साथ असलहा तस्कर गिरफ्तार ।

आज दिनांक 12.06.2025 को प्र0नि0 सिधारी शशिचन्द चौधरी, स्वाट टीम आजमगढ़ मय हमराह व चौकी प्रभारी मूसेपुर उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा मय हमराह द्वारा बेलईसा ओवरब्रिज के नीचे से अभियुक्त अहमद पुत्र महताब अहमद निवासी फरहाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को समय 02.10 बजे (रात) गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 03 अदद अवैध देशी तमन्चा .315 बोर, 01 अदद मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP50BK5137 व 01 अदद स्मार्ट फोन आईटेल कम्पनी का बरामद हुआ । बरामदगी के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 0296/25 धारा 09/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

अपराध करने का तरीका – अभियुक्त द्वारा तमंचा लाकर उसे आजमगढ़ शहर या अन्य जगहों पर लोगों को बेचा जाता है ।

बरामदगी का विवरण-

1. 03 अदद देशी तमंचा .315 बोर नाजायज
2. 01 अदद मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP50BK5137
3. 01 अदद स्मार्ट फोन आईटेल कम्पनी

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1.अहमद पुत्र महताब अहमद निवासी फरहाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 0296/25 धारा 09/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. शशिचन्द चौधरी प्र0नि0 सिधारी मय हमहाह आजमगढ़
2. मनीष पाल स्वाट प्रभारी आजमगढ़ मय हमराह
3. उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़



04. थाना गम्भीरपुर: ट्रक से डीजल चोरी करने वाले 02 शातिर चोर तमन्चा कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 23.04.2025 को आवेदक आशीष मौर्य पुत्र राजकुमार मौर्य निवासी निवासी 7ए/387 बृन्दाबन योजना - -2 रायबरेली रोड लखनऊ पी0जी0आई0 लखनऊ पूर्वी (कमिश्नरेट लखनऊ) द्वारा आनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत एफआईआर बावत वादी के ट्रक संख्या- UP32PNxxx एवं UP32PN64xx- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर माल - गिट्टी के परिवहन के कार्य में लगे होने जो मिर्जापुर से गोरखपुर के बीच नियमित रूप से चलने व दिनांक 18.04.2025 को रात्रि के , जब दोनो ट्रकों के चालक वर्मा ढाबा, बिंद्रा बाजार, थाना-गंभीरपुर, जनपद-आजमगढ़ पर खाना खाने के पश्चात विश्राम कर करते समय रात्रि 03:20 बजे (03:20AM) के आसपास जी.पी.एस. के अनुसार अज्ञात चोरो द्वारा ट्रक संख्या- UP32PN5xxx से फ्यूल सेंसर काटकर लगभग 285 लीटर तथा UP32PN6xxx से लगभग 85 लीटर डीजल चोरी कर लेने के सम्बंध में दाखिल प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 105/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत हुआ था। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1. मो0 शहबाज पुत्र राजु उर्फ एजाज अहमद सा.मोहल्ला मिर हसन पठान टोला सारायमीर थाना सारायमीर आजमगढ़ 2. मो0 दिलनवाज उर्फ कल्लु पुत्र मो0 फैयाज उर्फ गुड्डु सा.अबुसैदपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण -

आज दिनांक 12.06.2025 उ0नि0 संदीप दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान छाऊ की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 02 व्यक्ति मो0 शहबाज S/O राजु उर्फ एजाज अहमद उम्र 25 वर्ष R/O मोहल्ला मिर हसन पठान टोला सारायमीर थाना सारायमीर आजमगढ़ को कुल 1500 रु0 व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर तथा मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने मो0 दिलनवाज उर्फ कल्लु S/O मो0 फैयाज उर्फ गुड्डु उम्र 24 वर्ष R/O अबुसैदपुर PS गम्भीरपुर आजमगढ़ को 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर व पैट के दाहिने जेब से कुल 1600 रु0 व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ समय 03.40 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों ने मिलकर दिनांक 18.4.25 को बिंद्रा बाजार में वर्मा ढाबा से ट्रक के डीजल टैंक से डीजल चुराया था जिसे धीरे धीरे करके बेच दिये थे तथा उसके पैसे आपस में बांट लिये जो धिरे धिरे खर्च हो गये उसमे से बाकी बचे पैसे आपने हमारे पास से बरामद किया है आज भी हम लोग चोरी करने के उद्देश्य से निकले थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया साहब गलती हो गई माफ कर दिजिये पकड़े गये व्यक्ति के पास मौजूद मोटरसाइकिल काला रंग स्प्लेंडर प्लस UP62DB2xxx के विषय में पुछने पर बता रहे हैं कि रिस्तेदार का है। इसी वाहन का प्रयोग हमलोग चोरी की घटना कारित करने में प्रयोग करते है। बरामद तमंचा कारतूस व मोटरसाइकिल के कागजात मांगने पर दिखाने से कासिर रहे पकड़े गये व्यक्तियों का कृत्य धारा 3/25 A.Act व धारा 317(2)BNS का दण्डनीय अपराध से अवगत कराते हुए समय 03.40 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस लेकर बरामद तमंचा व कारतूस तथा पैसे को कब्जा पुलिस लिया गया तथा मोटरसाइकिल UP62DB2326 को अंतर्गत धारा 207 MV Act में आनलाइन सिज किया गया। दिनांक 18.04.2025 के चोरी की घटना के सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.105/25 धारा 303(2) BNS पंजीकृत है तथा अभियुक्तगण के पास से बरामद तमन्चा कारतूस के सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 172/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ है। अभियुक्तगण एक शातिर किस्म के चोर है जिनके द्वारा पूर्व में भी कोई चोरी की घटनाओं के अंजाम दिया गया है तथा कई बार जेल भी गये है।

गिरफ्तारी अभियुक्त का नाम-

1. मो0 शहबाज पुत्र राजु उर्फ एजाज अहमद सा.मोहल्ला मिर हसन पठान टोला सारायमीर थाना सारायमीर आजमगढ़
2. मो0 दिलनवाज उर्फ कल्लु पुत्र मो0 फैयाज उर्फ गुड्डु सा.अबुसैदपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 105/2025 धारा 303(2)/317(3) BNS थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 172/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:—

दिलनवाज उर्फ कल्लु पुत्र फैयाज उर्फ गुड्डु सा.अबुसैदपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ का अपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	105/2025	303(2)/317(2)	बी0एन0एस0	गंभीरपुर आजमगढ़
2.	172/25	3/25	आर्म्स एक्ट	गंभीरपुर आजमगढ़
3.	394/22	379/411	भादवि	बरदह आजमगढ़
4.	487/22	379/411/413/474	भादवि	देवगांव आजमगढ़
5.	230/2023	3(1)	गैंगस्टर एक्ट	बरदह आजमगढ़
6.	403/22	307	भादवि एवं 3/25 आर्म्स एक्ट	बरदह आजमगढ़
7.	494/22	379/411	भादवि	देवगांव आजमगढ़
8.	326/22	147/149/307/332/353/504	भादवि व 2/3 सार्वजनिक नुकसान निवारण अधि.	बरदह आजमगढ़
9.	299/22	379	भादवि	अहरौला आजमगढ़
10.	462/22	380/457/411	भादवि	निजामाबाद आजमगढ़

11. 493/22379/380/411/413/457/473 भादवि देवगांव आजमगढ़
मो० शहबाज पुत्र राजु उर्फ उर्फ एजाज अहमद सा.मोहल्ला मिर हसन पठान टोला सारायमीर थाना सारायमीर आजमगढ़ का
अपराधिक इतिहास

क्र०सं० मु०अ०सं० धारा थाना जनपद

1. 105/2025 303(2)/317(2) बी०एन०एस० गंभीरपुर आजमगढ़
2. 172/25 3/25 आर्म्स एक्टगंभीरपुर आजमगढ़
3. 140/20 147/149/323/364/504 भादवि निजामाबाद आजमगढ़
4. 81/22 3/25 आर्म्स एक्टसारायमीर आजमगढ़

बरामदगी का विवण—

1-3100 रूपये नकद, एक अदद मोटरसाइकिल UP62DB2326, एक अदद तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ०नि० संदीप दूबे, कां० राज करन, कां० विश्वास चौधरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।



05.थाना बिलरियागंज: अवैध कट्टा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 11.06.2025 को उ0नि0 प्यारैराम मय हमराह चेकिंग के दौरान जगमलपुर तिराहे के पास से एक व्यक्ति मोअज्जम पुत्र एकलाख साकिन खानकाह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष बताया। तथा जामा तलाशी ली गयी तो जामा तलाशी से मोअज्जम उपरोक्त के पहने जिन्स पैन्ट में एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त मोअज्जम उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध का बोध कराते हुए दिनांक 11.06.25 समय करीब 22.27 बजे जगमलपुर तिराहा के पास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- मोअज्जम पुत्र एकलाख साकिन खानकाह थाना बिलरियागंज आजमगढ़

बरामदगी-

- 1- एक अदद देशी तमन्चा .315 बोर
- 2- एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0स0 189/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बिलरियागंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-सुनील कुमार दुबे थानाध्यक्ष बिलरियागंज आजमगढ़
- 2-उ0नि0 प्यारैराम मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़



06.थाना देवगांव: दुष्कर्म के अभियोग में वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

वादी मुकदमा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ ने थाना देवगांव पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 10.06.2025 को समय करीब 18.13 बजे ,वादी की भान्जी उम्र करीब 16 वर्ष के साथ विपक्षी 1. अजीत शर्मा पुत्र फेकू शर्मा निवासी ग्राम कंजहित थाना देवगांव जनपद आजमगढ़, 2. रियाज अन्सारी पुत्र हसन अली निवासी ग्राम हिरापुर मचहती थाना चन्दवक जनपद जौनपुर द्वारा शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी, के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 203/2025 धारा 70(2),351(3) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्र0नि0 विमल प्रकाश राय द्वारा संपादित किया जा रहा है ।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 11.06.2025 को प्र0नि0 विमल प्रकाश राय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.अजीत शर्मा पुत्र फेकू शर्मा निवासी ग्राम कंजहित थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ 2.रियाज अन्सारी पुत्र हसन अली निवासी ग्राम हिरापुर मचहती थाना चन्दवक जनपद जौनपुर को कंजहीत बाजार स्थित बैंक के सामने से समय 21.35 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

क्र.सं. मु0अ0सं0 धारा थाना जिला

1. 203/2025 70(2),351(3) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट देवगांव आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अजीत शर्मा पुत्र फेकू शर्मा निवासी ग्राम कंजहित थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
2. रियाज अन्सारी पुत्र हसन अली निवासी ग्राम हिरापुर मचहती थाना चन्दवक जनपद जौनपुर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 विमल प्रकाश राय मय हमराह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़



07.थाना – रौनापार: चोरी की बन्दूक के साथ वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

वादी सुनील राय पुत्र स्व० रामशब्द राय साकिन जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के लिखित सूचना कि दिनांक 10.06.25 को प्रतिदिन की भाँती HDFC बैंक से ड्यूटी कर घर वापस आते समय आरोपीगण द्वारा वादी के घर से पहले स्थित गोदाम के पास एक राय होकर वादी को गाली गुप्ता देते हुए लाठी डण्डा से मारना पीटना व वादी का असलहा व 13 कारतुस व एक बेसलेट व 2200 रुपया चुरा लेना व जाते समय जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिया गया। दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 11.06.25 को मु०अ०स० 227/25 धारा 3(5),115(2),352,351(3),303(2) बी.एन.एस. बनाम 1.उग्रसेन राय पुत्र स्व० सत्यदेव राय 2. हरेन्द्र राय पुत्र उग्रसेन राय 3. प्रवीण राय उर्फ बलदाऊ राय पुत्र हरेन्द्र राय 4. आदिश राय पुत्र हरेन्द्र राय साकिनान जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 5. दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 12.06.25 को उ०नि० विवेक कुमार सिंह चौकी प्रभारी महुला हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रवीण राय उर्फ बलदाऊ राय पुत्र हरेन्द्र राय निवासी ग्राम जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को चोरी की बन्दूक के साथ ग्राम जोकहरा पिपरही रोड से समय करीब 01.40 बजे रात्रि को हिरासत पुलिस मे लिया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2)बीएनएस की बढोतरी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया ।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु०अ०स० 227/25 धारा 3(5),115(2),352,351(3),303(2) बी.एन.एस. थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1.मु०अ०स० 227/25 धारा 3(5),115(2),352,351(3),303(2)बी.एन.एस.थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

2.मु०अ०स० 159/23 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-प्रवीण राय उर्फ बलदाऊ राय पुत्र हरेन्द्र राय निवासी ग्राम जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष बरामदगी:- चोरी किया गया बन्दूक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० विवेक कुमार सिंह चौकी प्रभारी महुला थाना रौनापार आजमगढ़
2. हे०का० दिनेश कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का० रामचन्द्र यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. का० दिलीप कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
5. का० धर्मेन्द्र कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़



08. थाना- मुबारकपुर: ग्राम बम्हौर में लावा परछन के समय वीडियो बनाने से मना करने पर मारपीट करने वाला वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अबतक कुल 06 अभियुक्त पकड़े गये।

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 03.06.2025 को ग्राम बम्हौर मे संदीप कन्नौजिया पुत्र महेन्द्र कन्नौजिया ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दिया गया कि राकेश पुत्र बरछू कन्नौजिया के विवाह समारोह मे लावा परछन के लिये गाँव व परिवार की महिलाएं गाँव के पोखरे पर जा रही थी कि तभी दुसरे समुदाय के लड़के अबुजैद S/0 भुल्लन, रहमान, वकाश, वसीम, आलिम पुत्रगण शमीम, जुबैद S/0 इफ्तेखार, वकार S/0 महमूद, एहतेशाम S/0 शब्बीर, अरबाज S/0 कमालू, अरमान S/0 कमालू, अरमान S/0 जावेद, S/0 भुल्लन S/0 आले हसन, सैफु S/0 अज्ञात नदीम S/0 शमीम अरमान S/0 अज्ञात, और उनके साथ के अन्य लड़के परछन में शामिल महिलाओं और लड़कियों का वीडियो बनाने लगे और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हुए कमेंट करने लगे मना करने पर मारना पीटने एवं जान मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध मे सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर मु0अ0सं0 228/2025 धारा 3(5),115(2),352,351(3), 109,110,125,61(2)74,61(2) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)V एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा प्रचलित है।

पूर्व में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 06 अभियुक्त 1. अरमान पुत्र जावेद उम्र करीब 22 वर्ष निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, 2-अरमान पुत्र जावेद उम्र करीब 22 वर्ष निवासी बम्हौर, थाना- मुबारकपुर, जनपद - आजमगढ़, 3. वसीम पुत्र शमीम उम्र करीब 26 वर्ष 4. मो0 मोअज्जम पुत्र अब्दुल कयूम ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष, 05. रहमान पुत्र शमीम उम्र करीब 18 वर्ष निवासीगण बम्हौर थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ व 6. 01 किशोर अपचारी (पुलिस अभिरक्षा) को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 12.06.2025 को उ0नि0 गिरीश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रहमान पुत्र शमीम उम्र करीब 18 वर्ष निवासीगण बम्हौर थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ के घर पर दबिश देकर अभियुक्त के घर के सामने से समय करीब 08.40 बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0 228/2025 धारा 3(5),115(2),352,351(3),109,110,125,61(2)74,61(2) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)V एससी एसटी एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1- रहमान पुत्र शमीम उम्र करीब 18 वर्ष निवासीगण बम्हौर थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

उ0नि0 गिरीश कुमार, का0 संदीप शर्मा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

